न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
अपील सं0 7/12
निर्णय दिनांक 13.06.18

1. रामावतार पुत्र नाथूलाल जाति सोनी नि0 बधाल तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 — अपीलान्ट

बनाम

1. संरपच ग्राम पंचायत बधाल पंचायत समिति सांभरलेक जिला जयपुर राज0 — रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्व नामान्तकरण सं0 2779 दिनांक 19.11.12</u>
<u>अस्वीकार द्वारा संरपच ग्राम पंचायत बधाल</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि खाता सं0 249, 250, 255, 275 की आराजी वाकै ग्राम बधाल में स्थित है जिसका दर्ज हिस्सें अनुसार खातेदार बजरंगलाल पुत्र मनसुख कौम ब्राहमण है यह खातेदार उक्त आराजी सन् 1967 से दर्ज खातेदार चला आ रहा है जिसका नाम बतौर खातेदार दर्ज हिस्से अनुसार जमाबन्दी में भी दर्ज चला आ रहा है। अपीलान्ट ने उक्त खातेदार बजरंगलाल की दर्ज हिस्सें अनुसार उक्त खातों की जमाबन्दीयों की आराजी ख0नं0 894, 895, 902, 973, 893, 887, 890 में वर्णित सम्पूर्ण हिस्सें को 13,00,000 रू0 का प्रतिफल अदा कर दिनांक 06.11.12 को खरीद किया है जिसका एक बेचान पत्र बजरंगलाल ने अपीलान्ट के हक में तहरीर व तकमील करवा कर उस पर अपने हस्ताक्षर कर बेचान पत्र का पंजीकरण उप पंजीयक कि0रेनवाल के यहा दिनांक 06.11.12 को गवाहान की उपस्थिति में करा दिया एवं मौके पर अपने हिस्सें की बेचान की गई आराजी पर कब्जा भौतिक रूप से करा दिया है बेचान पत्र के पेज सं0 4 के पेरा सं0 2 में इसका स्पष्ट उल्लेख वर्णित है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी पंजीकृत बेचान पत्र द्वारा खरीद करने व भौतिक कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् अपनी उक्त खरीदी गई आराजी पर अपने काश्तकार से इजारे पर बिजाई कराकर जो काश्त करा दिया है तथा खेत पर बने मकानात में काबिज होकर अपना ताला लगा रखा है अन्य किसी का भी उक्त आराजी से कोई वास्ता व सरोकार कतई नहीं रहा है। उक्त पंजीकृत बेचान पत्र दिनांक 06.11.12 के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तकरण सं0 2779 भरकर ग्राम पंचायत बधाल में तस्दीक हेतु पेश किया गया था। नामान्तकरण के कॉलम सं0 16 में पटवारी हल्का व एवं 1 से 4 कॉलम में आई0एल0आर रेनवाल की रिपोर्ट सही होने की अंकित की गई थी सरंपच ग्राम पंचायत बधाल रेस्पोडेन्ट से राजनैतिक द्वेषतावंश बिना किसी जांच एवं मनमानी तौर पर उक्त नामान्तकरण को विधि विरूद्व तरीकें से खारिज कर दिया जिसके कारण अपीलान्ट को उक्त अपील मान्य न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

उप खण्ड
सॉंभर लेक

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थी को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की तरफ से वकील श्री लोकेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा में पेश हुयी। पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.11.12 के आधार पर नामान्तकरण क्रेता अपीलान्ट के नाम खोलने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार कि0रेनवाल को अपील रिमाण्ड किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार कि0रेनवाल को नामान्तरकरण संख्या 2779 वाके ग्राम बधाल पर पारित निर्णय ग्राम पंचायत बधाल दिनांक 08.11.12 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन आराजी के क्रेता–विक्रेता एवं उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत जांच उपरान्त उक्त नामान्तरकरण पर पुनः निर्णय पारित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.06.18 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner